

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.22(1)न्याय/2024 पार्ट-I

जयपुर, दिनांक : 10.07.2026

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	चन्द्र शेखर गौड़	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त निदेशक विधि(संयुक्त विधि परामर्शी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर	नंद गोपाल गोयल के स्थान पर
2.	नरेन्द्र कुमार आर्य	संयुक्त विधि परामर्शी	कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	संयुक्त निदेशक विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07. 2026 का क्रम संख्या 13 निरस्त
3.	ऋतु शर्मा	संयुक्त विधि परामर्शी	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वाणिज्य कर विभाग, जयपुर	शैलेश कुमार के स्थान पर
4.	मनोज कुमार शर्मा	संयुक्त विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी पद के विरुद्ध
5.	आनन्द शर्मा	उप विधि परामर्शी	जिला कलक्टर, कार्यालय ब्यावर (स्थानान्तरणाधीन)	आयुक्त आबकारी, उदयपुर	प्रदीप चौधरी के स्थान पर
6.	पवन कुमार	सहायक विधि परामर्शी	जिला कलक्टर कार्यालय नागौर (स्थानान्तरणाधीन)	स्वायत्त शासन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07. 2026 का क्रम संख्या 65 निरस्त
7.	प्रियंका राठौड़	सहायक विधि परामर्शी	मुख्य अभियंता, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07. 2026 का क्रम संख्या 78 निरस्त

[Signature]
10/7/26 1

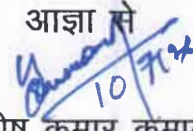
8.	विनीत पण्ड्या	सहायक विधि परामर्शी	नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ (स्थानान्तरणाधीन)	जिला कलक्टर कार्यालय बांसवाड़ा	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 100 निरस्त
9.	विधि जोशी	सहायक विधि परामर्शी	जिला कलक्टर कार्यालय बांसवाड़ा (स्थानान्तरणाधीन)	नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़	रिक्त पद पर
10.	मंजू लता मीना	वरिष्ठ विधि अधिकारी	वित्त (विधि) प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, राजस्थान, जयपुर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 157 निरस्त
11.	फतेहजीत कौर	वरिष्ठ विधि अधिकारी	रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 139 निरस्त
12.	पोषिता पंवार	कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर परिषद्, सीकर	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), चूरू	रिक्त पद पर
13.	विनोद कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर, कार्यालय हनुमानगढ़ (स्थानान्तरणाधीन)	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर	निधि मीणा के स्थान पर
14.	निर्मला चौधरी	कनिष्ठ विधि अधिकारी	खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर वृत्त कार्यालय, जयपुर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 198 निरस्त
15.	चंचल तंवर	कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अजमेर (स्थानान्तरणाधीन)	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, अजमेर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 202 निरस्त
16.	प्रमिला देवडा	कनिष्ठ विधि अधिकारी	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, अजमेर (स्थानान्तरणाधीन)	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अजमेर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 203 निरस्त
17.	कपिल शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर निगम, जोधपुर उत्तर, जोधपुर	राजकीय अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 209 निरस्त

Signature
10/7/2026

18.	वर्तिका शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर परिषद, टोंक	जिला कलक्टर, कार्यालय, टोंक	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 210 निरस्त
19.	पुष्पा शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर, कार्यालय, टोंक	नगर परिषद, टोंक	आज्ञा क्रमांक प. 22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 का क्रम संख्या 211 निरस्त

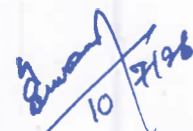
नोट:—उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारीगण इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उक्त अधिकारीगण कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट एस.एस.ओ. आई.डी. से लॉगिन कर, इस विभाग के *Legal Officer Portal (LOP)* के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें, अन्य किसी माध्यम (भौतिक/ई-मेल/ई-डाक) से नहीं।

आज्ञा से

 (आशीष कुमार कुमावत)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. श्री/सुश्री/श्रीमती को पालनार्थ।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव